

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प031/2008/195

दिनांक- 29/09/08

-: आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से अनुकूल चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने की सशर्त पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं०	जन्मतिथि	वर्ग
1.	डा. विनोद सिंह चौधरी, पुत्र श्री बलवान सिंह, आर.जेड-37/सी, राजनगर पार्ट प्रथम, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली	38	25-11-72	Gen
2.	डा० कमलेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री दीलदयाल शर्मा गोयल टेन्ट हाउस के पास, सालोदा रोड, गंगापुरसिटी (स० माधोपुर)	48	22-11-75	Gen
3.	डा० अंशुमान शर्मा, पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा, सी- 265 वैशाली नगर, जयपुर	65	06-08-72	Gen
4.	डॉ.विनोद चावला श्री जवाहर लाल चावला म.न-79 नवरत्न काम्पलेक्स उदयपुर	80	21-10-75	Gen
5.	डॉ० सुनील कुमार, पुत्र श्री सम्पत राज, द्वारा मनोहर एण्ड कंपनी, मेन बाजार, सोजत रोड, पाली-306103	133	13-01-75	Gen
6.	डा० आशीष नाहर, पुत्र श्री तेज सिंह नाहर, 79 मोती चोहट्टा हाथीपोल उदयपुर (राज)	136	10-06-75	Gen
7.	डा० पवन गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल रिशी आश्रम मन्दिर चाक सागरिया 335063 जिला हनुमानगढ	150	15-04-72	Gen
8.	डॉ० सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता, डीसीएम क्लोथ स्टोर, जगनेर, आगरा-283115	171	28-09-77	Gen
9.	डा० दीपक कुमार गिन्दोडा, पुत्र श्री सुशील कुमार, जुगल किशोर श्रीनिवास, मेन बाजार, मोहर, हनुमानगढ (राज) 335523	178	17-09-79	Gen
10.	डा० गौतम मोरारका पुत्र श्री एल.एन. नाथूरामका बी-17/ए- चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) 302001	205	24-06-66	Gen
11.	डा० गिरिश कुमार, पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता 111/242 रामतीर्थ मार्ग अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर	300	11-11-75	Gen
12.	डॉ० रतन कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राम गोपाल अग्रवाल, 55, नृसिंह मार्ग, राजहंस कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर	311	23-10-77	Gen
13.	डा. विवेक कुमार जैन, पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन, द्वारा जैन मिष्ठान भण्डार, देवरी, तह० शाहबाद, बारा-325217	349	10-07-76	Gen
14.	डॉ. बाबूलाल विश्णोई पुत्र श्री घन्नाराम विश्णोई गांव-पोस्ट -लाल जी की डुंगरी तह० सांचौर जालौर	516	15-08-73	OBC
15.	डा० तरुणा चौधरी, पत्नी डा० बालाराम चौधरी, 49, जूनामथ पानी दरवाजा, पाली मारवाड राजस्थान	574	07-07-76	G-F
16.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार, पुत्र श्री पूनमचन्द परिहार, नयापुरा, मालियों का बास, फलौदी, जिला जोधपुर	609	10-04-72	OBC

✓

17.	डा. लियाकत हुसैन पुत्र श्री अब्दुल अजीज पी.एच.सी बस्सी तहसील सलूमबर जिला उदयपुर-313027	621	03-04-75	OBC
18.	डा.राजकुमार पुत्र श्री फूलाराम भूकर ग्राम पोस्ट रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़-335502	682	01-08-74	OBC
19.	डा. प्रेमनारायण नागर पुत्र श्री छीतर लाल नागर गीगया (नाहर	690	15-01-76	OBC
20.	डा. बीरम चन्द मेवाडा पुत्र श्री मदन लाल मेवाडा, क.नं. 5, पी.जी. हॉस्टल, र.नां.टै. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	841	20-04-76	OBC
21.	डा. रामनिवास पटेल पुत्र श्री धन्नाराम पटेल वेरा-पोसीमा मु.पो.जागसा वाया बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	893	15-08-80	OBC
22.	डॉ. आकिल हुसैन म.न.-53 पोल्दीफार्म इन्जि0 कॉलेज के पास श्री नाथपुरम -सी सेक्टर अकेलगढ कोटा 324010	913	17-07-78	OBC
23.	डा0 सुनील कुमार रावत पुत्र शिव दयाल मीणा म.न.58 अजय विहार कोलोनी श्योपुर तह0सागॉनेर जयपुर	1056	06-12-74	ST-M

“These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 7124/08 and 7103/08.

उपरोक्त अभ्यार्थी वर्तमान में पीजी में अध्ययनरत है। फलस्वरूप इनका पदस्थापन पीजी पूर्ण करने पर किया जायेगा।

इन्हें कार्यग्रहण करने के समय अपने गृह जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।


परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।


दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।


 निदेशक (जन स्वा0)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 7) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।